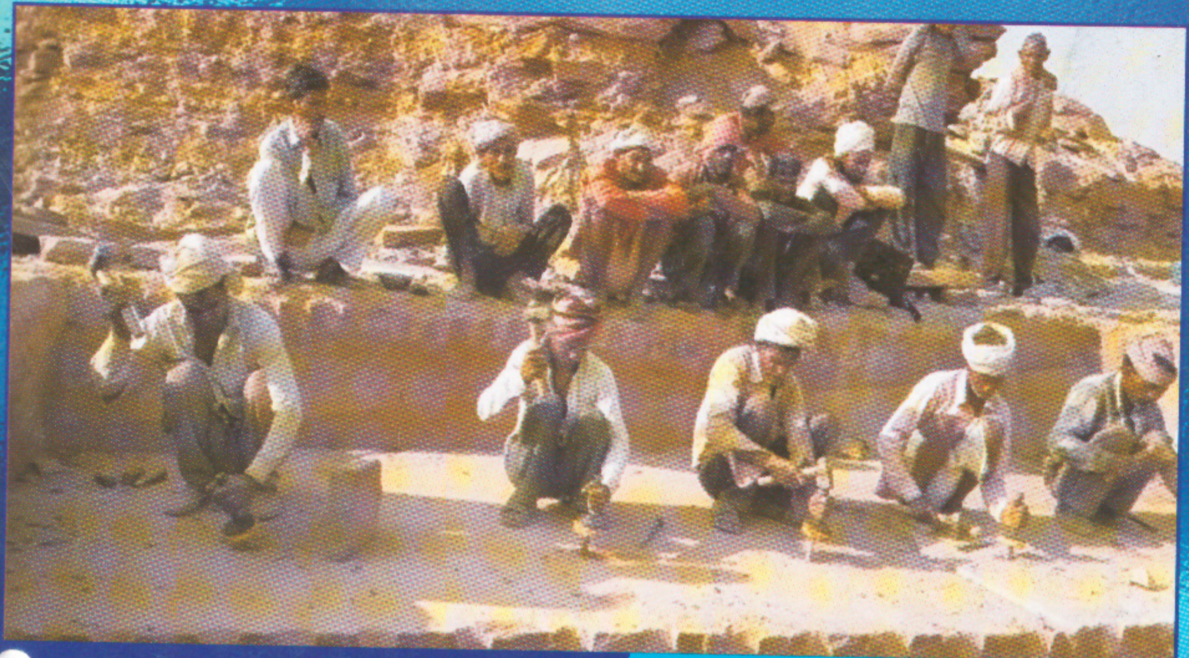

सिलिकोसिस

खोज, निवारण, नियन्त्रण एवं पुनर्वास

डांग विकास संस्थान, करौली

★ डांग विकास संस्थान, करौली गदका की चौकी से आगे गणेश नर्सरी के पास
ग्राम. पोस्ट बरखेडा तह. जिला करौली - 322241 (राज)
★ बाग वाली ढाणी, बांदीकुई रोड, सिकंदरा ।
सम्पर्क सूत्र 07464-220772, 9414340578,9829315403
e-mail : dvs.karauli@gmail.com
website : www.daangvikassansthan.org.in

सिलिकोसिस क्या है ?

सिलिकोसिस फेफडों की बीमारी है जो सिलिका धूल भरे वातावरण में लगातार कई बर्षो तक काम करने से होती है। यह बीमारी सिलिका धूल के बहुत महीन कणों की अधिक मात्रा में श्वास के साथ फेफडों में जाने से होती है। सामान्यत यह कण फेफडों को प्रभावित कर गांठे बना देते है। जिसके परिणाम स्वरूप फेफडों की कार्य क्षमता में धीरे–धीरे कमी आ जाती है। खनन पत्थर तोडने पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने,सेन्ड स्टोन से मूर्ति बनाने,कॉच व चीनी मिट्टी के वर्तन बनाने एवं ज्वैलेरी आदि उद्योग कार्यो में सिलिका मिश्रत धूल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अतः इन उद्योगों में कार्यरत लोगों में सिलिकोसिस होने की संभावना अधिक होती है।इसके निदान के सन्दर्भ में सबसे बडी चुनौती है कि यह पता लगाना कठिन हो जाता हैं, कि रोगी टीबी (टुयूवरक्लोसिस) से ग्रसित है या सिलिकोसिस से।

सिलिकोसिस के लक्षण

★ प्रारम्भिक सालों में रोगी सामान्यतः सिलिकोसिस के लक्षणों से रहित होता है।
★ जैसे –जैसे बीमारी बढती व सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना एवं खॉसी होना प्रमुख लक्षण होते है।
★ सुखी और तीव्र खॉसी के चलते गले में खराबी हो सकती है।
★ थकान महसूस होना।
★ भूख न लगना व वजन घटना।
★ छाती में दर्द होना।
★ संक्रमक रोग जैसे ही क्षय रोग होने पर बुखार, बजन में कमी, नीद ना आना,
★ रात में पसीना आना जैसे लक्षण हो सकतें है।
★ सिलिकोसिस रोगियों में अन्ततः मृत्यु होने की संभावना रहती है।

सिलिका धूल से जुडी अन्य बीमारियां

★ सिलिकोसिस होने से फेफडों का कैंसर होने का खतरा बढ जाता हैं।
★ सांस की बीमारी (COPD) ,सांस फूलना एवं खॉसी हो सकती हैं।
★ फेफडों की कार्य क्षमता में भारी कमी आ सकती हैं।
★ सलिकोसिस होने से क्षय रोग (टी.बी) होने की संभावना लगभग तीन गुणा बढ जाती हैं।
★ स्कलेरोडरमा–रोग जिसमें त्वचा, रक्तवाहिका, जोडों एवं मांसपेसियां प्रभावित होती हैं सभवतः किडनी रोग भी हो सकता हैं।

सिलिकोसिस के निदान एवं उपचार

★ सिलिकोसिस का कोई ठोस उपचार अभी उपलब्ध नही है। सिलिकोसिस का निदान होने पर व्यक्ति को धूल से दूर रखना जरूरी है, जिससे बीमारी और ना बढे।
★ सिलिकोसिस के निदान के लिए व्यक्ति की पूर्ण चिकित्सकिय जॉच–पडताल आवश्यक है।
★ सिलिकोसिस के निदान के लिए छाती का एक्स–रे करना महत्वपूर्ण है।
★ सांस परिक्षण (Lung Function Tests) करने से फेफडों की घटतीकार्य क्षमता के बारें में पता लगाया जा सकता है।

★ रोगी को हो रही सांस मे तकलीफ एवं खॉसी का उपचार कराना आवश्यक है।
★ क्षय (टी.बी) रोग होने पर जल्द उपचार करना जरूरी है।

सिलिकोसिस निवारण

★ सिलिकोसिस की शत–प्रतिशत रोकथाम की जा सकती है। कुछ जरूरी उपायों से सिलिकोसिस पर कारगर नियंत्रण पाया जा सकता है।
★ सिलिकोसिस रोकथाम के लिए सिलिका मिश्रित धूल को कार्य वातावरण में निर्धारित सीमा के अन्दर रखा जाना चाहिए।
★ कार्य स्थल में मिश्रित धूल के स्त्रोत का निर्धारण करें। धूल संग्रहण प्रणाली को दूरूस्त रखें एवं समय–समय पर उसकी रखरखाव, कार्य एवं कुशलता की जॉच करें।
★ वायूवाहित सिलिकोसिस मिश्रित धूल के नियंत्रण करने के लिए जल छिडकाव व प्रणाली का व्यवस्थापन कर उसे सुचारू ढग से कार्यरत रखें।
★ नई छेदन तकनीक का प्रयोग करें जिससे सिलिका धूल को हवा एवं वातावरण में मिश्रित होने से रोका जा सकें।
★ निर्माण प्रकिया के दौरान पानी के फव्वारों का प्रयोग कर गीला करें।
★ मजदूरों एवं कर्मचारियो को सिलिका मिश्रित धूल से होने वाले दूष्प्रभाव एवं बचाव के बारे में जानकारी देकर सचेत करें।
★ सिलिका मिश्रित धूल को श्वांस में जाने से रोकने के लिए कार्यस्थल पर डस्ट मास्क का उपयोग करें।
★ समय–समय पर नियमित रूप से स्वास्थ्य की जॉच करावें। जेकहेमर से कार्य करते समय हमेशा ड्राईड्रिलिंग के स्थान पर वैट ड्रिलिंग का उपयोग करें।

करौली टांकी

डांग विकास संस्थान द्वारा संशोधित कम लागत वाली स्थानीय तकनीक से बनाई गई हैं। करौली टांकी से श्रमिकों की उत्पादकता प्रभावित किये बिना धूल जोखिम काफी हद तक कम हो जा जाती है, का खनन कार्य में करौली टांकी का नियमित उपयोग करें।

न्यूमोकोनिओसिस (सिलिकोसिस) नीति

★ राज्य में न्यूमोकोनिओसिस (सिलिकोसिस) पीडित एवं उनके परिवारजनों की सहायता एवं पुनर्वास के लिए दिनांक 03 अक्टूबर, 2019 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान न्यूमोकोनिओसिस (सिलिकोसिस) नीति 2019 लागू की गईहै।
★ राजस्थान न्यूमोकोनिओसिस (सिलिकोसिस) नीति 2019 को राज्य में लैगशिप योजनाओं में शामिल किया गया है।

सिलिकोसिस नीति के अन्तर्गत वर्तमान में दिये जा रहे आर्थिक लाभ

★ न्यूमोकोनिओसिस (सिलिकोसिस) रोग के प्रमाणीकरण पर राशि रू 03.00 लाख देय।
★ न्यूमोकोनिओसिस (सिलिकोसिस) रोगी की मृत्यु उपरांत परिवारजनों को राशि रू 02.00 लाख देय।
★ न्यूमोकोनिओसिस (सिलिकोसिस) रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु परिवार को राशि रू 10000/– देय।

★ न्यूमोकोनिओसिस (सिलिकोसिस) पीडित को पेंशन राशि रू 1500 प्रतिमाह देय।

★ न्यूमोकोनिओसिस (सिलिकोसिस) विधवा पेंशनः– 55 वर्ष की आयु तक रू 500 प्रतिमाह, 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक रू 750 प्रतिमाह, 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक रू 1000 प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु पर रू 1500 प्रतिमाह देय।

★ न्यूमोकोनिओसिस (सिलिकोसिस) पीडित परिवारों का पालनहार योजना में लाभ :–
6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को राशि रू 500 प्रतिमाह, 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक की राशि रू 1000 प्रतिमाह एवं प्रत्येक बच्चें को 2000 रूपये की वार्षिक एकमुश्त सहायता देय।

नोटः–पालनहार योजना में राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2022–2023 में वृद्वि की गई हैं, लेकिन विभागीय आदेश जारी नही होने के कारण उक्त राशि ही देय होगी।

★ न्यूमोकोनिओसिस (सिलिकोसिस) पीडित एवं उसके परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समान समस्त बी0पी0एल0 सुविधाओं यथा एन0एफ0एस0ए आदि से लाभान्वित किया जाना।

सिलिकोसिस जॉच व सहायता

राज सिलिकोसिस पोर्टल पर सिलिकोसिस जॉच हेतु श्रमिक अपना पंजीकरण जन–आधार कार्ड, एवं मोबाईल से ई–मित्र व एस0एस0ओ0 आईडी से करवायें।

★ मैसेज आने पर संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल में जाकर डॉक्टर के परामर्श अनुसार अपना डिजीटल एक्स–रे जॉच करवाकर अपनी कार्य के इतिहास सहित जॉच को जमा करवायें।

★ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल में आपके द्वारा एक्स–रे दिया गया है, वही से डिजीटल एक्स–रे ऑनलाईन किया जायेगा।

★ एक्स–रे को रेडियोलोजिस्ट का पैनल देखकर आपकी बीमारी के बारे में रिपोर्ट करेगा। अगर सिलिकोसिस होगा तो प्रमाण–पत्र ऑनलाईन जारी किया जायेगा। आप ई–मित्र व एस0एस0ओ0 आईडी से जानकारी प्राप्त कर सकेगें। निर्धारित सिलिकोसिस बीमारी पाई जाती है। तो सहायता, पेंशन आपके द्वारा जन–आधार में दिये गये बैंक खाते में स्वतं ही प्राप्त हो जायेगी।

डांग विकास संस्थान, करौली द्वारा सक्षम परियोजना अंतर्गत जनहित में निःशुल्क वितरण हेतु प्रकाशित।

डांग विकास संस्थान, करौली

★ डांग विकास संस्थान, करौली गदका की चौकी से आगे गणेश नर्सरी के पास
ग्राम. पोस्ट बरखेडा तह. जिला करौली - 322241 (राज)
★ बाग वाली ढाणी, बांदीकुई रोड, सिकंदरा ।
सम्पर्क सूत्र 07464-220772, 9414340578,9829315403
e-mail : dvs.karauli@gmail.com
website : www.daangvikassansthan.org.in

डांग विकास संस्थान, करौली

रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना

आप सभी को सूचित किया जाता है कि एलपीजी आईडी की सीडिंग करवाना बहुत जरूरी है आधार सीडिंग की जा रही है आप अपनी गैस डायरी और आधार कार्ड लेकर गैस एजेंसी पर पहुँच कर अपना अंगूठा लगाकर वहाँ से एक नंबर मिलेगा उसको अपने डीलर के पास लेकर केवाईसी करवाये, अगर आधार सीडिंग नहीं करवाई जाएगी तो आपको गेहूँ वितरित नहीं होंगे। इसलिए सभी आधार सीडिंग करवाऐ। अपनी एलपीजी आईडी में आधार कार्ड संबंधित डीलर के पास ले जाकर आज ही आधार सीडिंग करवाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर रहे है उन समस्त लाभार्थियों को 450 रूपये में एलपीजी (रसोई गैस) सिलेंडर का लाभ दिए जाने का प्रावधान राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) प्राप्त लाभार्थी 30 नवंबर 2024 तक अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार (राशन डीलर) के पास जाकर पोस मशीन द्वारा परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड सीडिंग केवाईसी तथा सभी सदस्यों के नाम एलपीजी आईडी को ले जाकर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ उठाऐ।

डांग विकास संस्थान करौली द्वारा जनहित में जारी

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें-

डांग विकास संस्थान

पता- गद्का की चौकी से आगे गणेश नर्सरी के पास, ग्राम पोस्ट बरखेड़ा तह० व जिला करौली-322241

PH : 07464220772, Mob. 9414340578, 9829315403

सिकंदरा ऑफिस का पता- डांग विकास संस्थान, लोधी हॉस्पीटल के सामने, सिकंदरा (जिला-दौसा)

Mob. 8069559376

डांग विकास संस्थान

गद्का की चौकी से आगे गणेश नर्सरी के पास, ग्राम पोस्ट बरखेड़ा तह0 व जिला करौली-322241

फोन न. 07464-220772, 9414340578, 9829315403 Email : dvs.karauli@gmail.com website: daangvikassansthan.org.in

सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

[illegible] कराने वाली महिलाओं को 5000 रूपये की सहायता राशि मिलती है जो किस्तों में सीधे लाभार्थी के खाते [illegible] प्रथम बार गर्भवती होने से बच्चे के जन्म के उपरान्त अधिक से अधिक 270 दिन तक आवेदन किया जा सकता है। [illegible] बेटी होने के बाद अधिक से अधिक 570 दिनों तक आवेदन किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज :-

[illegible] महिला का आधार कार्ड। 2. पति का आधार कार्ड। 3. जनआधार कार्ड।
[illegible] सबुक। 5. ममता कार्ड। 6. ई-श्रमकार्ड या ममता कार्ड

देय लाभ :-

[illegible] स्त:-1000 रूपये, दूसरी किस्त :- 2000 रूपये, तीसरी किस्त:-2000 रूपये

[illegible] का आवेदन:-अपनी नजदीकी आँगनबाडी केन्द्र पर आवेदन किया जा सकता है।

[illegible] का नाम:-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

पात्रता/देय लाभ:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31000/- [illegible] 10000/- एवं स्नातक पास कन्या को 20000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। [illegible] 21000/- [illegible] 10000/- एवं स्नातक पास कन्याओं को 20000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है।

आवश्यक दस्तावेज :-

1. बीपीएल/अन्त्योदय/आस्था कार्डधारी कार्ड होना चाहिए 2. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 3. आय प्रमाण पत्र
4. मृत्यु प्रमाण पत्र 5. आधार कार्ड 6. जनआधार कार्ड 7. विवाह प्रमाण पत्र 8. मूल निवास प्रमाण पत्र
9. बैंक पास बुक 10. आयु प्रमाण पत्र 11. पासपोर्ट साईज फोटो 12. राशन कार्ड 13. मतदाता पहचान पत्र
14. आयु प्रमाण पत्र 15. जातिप्रमाण पत्र

आवेदन:- अपनी नजदीकी ई-मित्र से ऑनलाईन आवेदन करवा सकते हैं।

विभाग का नाम :-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।

श्रमिक दुर्घटना या मृत्यु की दशा में सहायता योजना

पात्रता:- पंजीकृत 18 से 58 वर्ष तक के निर्माण श्रमिक सहायता राशि के लिए पात्र होंगे।
देय लाभ:- श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये। दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये।
दुर्घटना से स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रूपये। दुर्घटना से आंशिक स्थाई अपंगता होने पर 1 लाख रूपये।

आवश्यक दस्तावेज :-

1. दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल के डिस्चार्ज टिकट की कॉपी।
2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा FIR कापी।
3. मृत्यु होने पर रजिस्ट्रार प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र।
4. श्रमिक जहाँ पर काम करता था वहाँ के नियोजक एम्पलायर का प्रमाण पत्र।
5. लाभार्थी पंजीयन परिजन परिचय पत्र या कार्ड की कॉपी। 6. जनआधार कार्ड की कापी।
7. आधार कार्ड प्रति। 8. बैंक पासबुक के पहले पन्ने की प्रति।

आवेदन:- अपनी नजदीकी ई-मित्र से ऑनलाईन आवेदन करवा सकते है।

विभाग:- श्रम विभाग, राजस्थान सरकार

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

[illegible] स्त शिल्पकार एवं औजारों से काम करने वाले कारीगर जैसे:- धोबी, मोची, नाई, कढ़ई, [illegible] (चुनाई प्लास्टर टाइल्स मार्बल) कुम्हार, लोहार, मूर्तिकार मालाकार खिलौने बनाने [illegible] लाभ:-5 से 7 दिवस का प्रशिक्षण (500 रूपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता देय) प्रशिक्षण [illegible] 5000 का टूल किट प्रोहत्सान वाउचर व 1 लाख से 3 लाख तक ऋण उपलब्धता।

आवश्यक दस्तावेज :-

[illegible] धार कार्ड 2. बैंक पासबुक 3. राशन कार्ड

[illegible]- सीएससी से आनलाईन आवेदन।

[illegible]-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना

[illegible]

देय लाभ :

छात्रवृत्ति	कक्षा 6 से 8		कक्षा 9 से 12		आईटीआई		स्नातक		स्नातकोत्तर	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
राशि	8000	9000	9000	10000	9000	10000	13000	15000	15000	17000

दस्तावेज:- 1. हिताधिकारी श्रमिक कार्ड 2. उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका
3. बैंक की पासबुक की प्रति 4.आधार कार्ड 5. जनआधार कार्ड

आवेदन:- अपनी नजदीकी ई-मित्र से ऑनलाईन आवेदन करवा सकते है।

विभाग:- श्रम विभाग, राजस्थान सरकार।

पालनहार योजना

पात्रता:- [illegible]

देय लाभ:-

[illegible]

दस्तावेज:-

1. माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र 2. विधवा के पेंशन के आदेश के भुगतान की प्रति
3. पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति 4. पालनहार का जनआधार कार्ड
5. पालनहार का आय प्रमाण पत्र 6. बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण व विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र
7. [illegible] प्रमाण पत्र आजीवन कारावास के न्यायालय आदेश की प्रति

आवेदन:- अपनी नजदीकी ई-मित्र से ऑनलाईन आवेदन करवा सकते हैं।

विभाग:-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

[illegible] राजकीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिकृत [illegible] स्पताल व राजकीय अस्पताल में प्रसव बालिका के जन्म पर

[illegible] 1. ममता कार्ड, 2. जन्म प्रमाण पत्र, 3. डिस्चार्ज टिकिट, 4. जनआधार कार्ड, 5. माता [illegible] आधार कार्ड, 6. माँ की बैंक पासबुक, 7. अध्ययन प्रमाण पत्र, 8. एक वर्ष पूर्ण होने पर बा[illegible]लिका की फोटो व सम्पूर्ण टीकाकरण हुए ममता कार्ड लगाना है। 9. विद्यालय प्रवेश [illegible] लिका का आधार कार्ड व जनआधार कार्ड में नाम शामिल होना अनिवार्य है।

[illegible] 00 रू.- जन्म के समय 2500 रू., 1 वर्ष पूर्ण टीकाकरण बाद 2500, कक्षा 1 में प्रवेश होने पर 4000 रू. [illegible] वेश होने पर 5000 रू., कक्षा 10 में प्रवेश होने पर 11000 रू., कक्षा 12वीं में पास होने पर 25000 रू.

[illegible] ई-मित्र पर ऑनलाईन व ऑफलाईन ए.एन.एम के पास जमा होगा।

[illegible] का नाम:-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रसूति सहायता योजना

पात्रता - पंजीकरण श्रमिक महिला केवल 2 प्रसव तक

दस्तावेज - 1. महिला का आधार कार्ड, 2. जनआधार कार्ड श्रमिक डायरी, 3 माह पुरानी होना अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र, 5. डिस्चार्ज टिकिट, 6. महिला की बैंक पासबुक।

लाभ - 1. लड़की के जन्म पर 21000 रूपये
2. लड़के के जन्म पर 20000 रूपये

आवेदन ई-मित्र पर ऑनलाईन होगा जिसकी अवधि प्रसव के एक माह तक आवेदन किया जा सकता है।

विभाग:- श्रम विभाग राजस्थान, सरकार।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना

पात्रता:-

[illegible] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFS) 2. सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सूची (SECC) 2011 में [illegible] [illegible] 850/- [illegible]

लाभ- प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक मुफ्त इलाज जिसमें ओपीडी सुविधा।

[illegible] कैंसर, न्यूरो सर्जरी, कोविड का उपचार, [illegible] लिवर प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, कॉक्लियर इम्प्लांट, [illegible]

दस्तावेज- 1. जनआधार कार्ड

आवेदन - ऑनलाईन ई-मित्र/ स्वयं की SSO आईडी द्वारा पंजीकरण कर सकते हैं।

विभाग- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार

JAN SAHAS
PEOPLE'S COURAGE FOR CHANGE

EQUALITY IN ALL ITS TOTALITY
DAANG VIKAS SANSTHAN

MIGRANTS RESILIENCE COLLABORATIVE

मजदूर हेल्पलाइन

मजदूरों को सहायता प्रदान करने के जिए माइग्रैंट्स रेसेलिएन्स कोलेबोरेटिव, जन सहास और डांग विकास संस्थान करौली द्वारा यह हेल्पलाइन सेवा उलपब्ध करवाई गयी है। विवाद या आपदा के समय सहायता अथवा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए मजदूर और उनके परिवार इस नंबर पर निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते है।

18001201121

मजदूर हेल्पलाइन 24 घण्टे चलने वाली निःशुल्क आपातकालीन फोन सेवा है, जिससे सभी श्रमिक, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, विधवाएं और विकलांग निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते है–

सम्पर्क सूत्र :–

Mob- 9829315403

Mob- 9667608134

Mob- 7014500983

डांग विकास संस्थान करौली द्वारा क्रियान्वित जिला प्रवासी संदर्भ केन्द्र द्वारा प्रवासी श्रमिकों के हितार्थ निःशुल्क वितरण